

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT, HARYANA

SCO No. 68-70, Sector 17-A, Chandigarh

Tel. (0172)-2703522, Fax: (0172)-2714614

ONLINE APPLICATIONS ARE INVITED FOR**PRE-MATRIC SCHOLARSHIPS FOR 2015-16**

From the Students Belonging to the Minority Communities

Last Date for receipt of applications for Fresh/Renewal Scholarships is 31.07.2015

Online applications are invited in the prescribed format from the students belonging to the Minority Communities, namely, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) & Jains notified by the Central Government pursuing education from Class 1st to 10th. in Govt./Recognized Schools/aided Institutes for Pre-Matric Scholarships for the year 2015-16 as per the eligibility criteria and conditions prescribed by the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India.

Conditions for Scholarship:

- Students should be resident of Haryana State.
- Scholarship will be awarded to the students who have secured not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination and the annual income of whose parent/ guardian (Father and Mother both) from all sources does not exceed Rs. 1.00 lakh.
- Income Certificate from the employer for employed parents/guardian (Father and Mother both) or Certificate to be issued by the competent Authority (SDM/Tehsildar) declared by the State Government. without which application will be rejected.
- Minority Certificate should be issued by 1st Class Magistrate (SDM/Tehsildar) without which application will be rejected.
- Aadhar Card Number is required to apply online.
- The Scholarship amount to students under pre-Matric scholarship scheme will be disbursed directly to the students bank account through Direct Benefit Transfer (DBT) mode.
- Continuation of the scholarship in subsequent years will depend on successful completion of the course during the preceding year.
- Scholarship holder under this scheme will not be able to avail any other scholarship/stipend for pursuing the course.
- The bank accounts for all eligible students (class 1st to 10th) should be opened in the name of students .
- Students should fill their own/parents/guardian Bank Account Number, PAN Card Number to applying on-line application & their Bank Account Number should be Aadhar-enabled.
- 30% of the scholarships are reserved for Girl Students.
- Scholarship will not be given to more than two students in a family.

Rate of Scholarship

| Sr. No. | Item | Hostellers | Day Scholars |
|---------|--|--|--|
| 1 | Admission fees from class VI to X | Rs. 500/- per annum subject to actual. | Rs. 500/- per annum subject to actual |
| 2 | Tuition fee from class VI to X | Rs. 350/- per month subject to actual. | Rs. 350/- per month subject to actual. |
| 3 | Maintenance allowance is payable for a period not exceeding 10 months in an academic year. | | |
| | (i) Class I to V | Nil | Rs. 100/- per month |
| | (ii) Class VI to X | Rs. 600/- per month subject to actual. | Rs. 100/- per month |

**Time Line
For class IX & X online**

| Sr. No. | Activities | Date |
|---------|---|------------------------------------|
| 1 | Receipt of application from students by institutions/State scrutiny by institutions/State administration | 1st May 2015 to 31st July 2015 |
| 2 | Submission of Online Proposals by State | 1st July to 31st August 2015 |
| 3 | Bank validation by Public Finance Management System (PFMS) and release of scholarship amount to students through DBT mode | 1st September to 18th October 2015 |

HOW TO APPLY:

- Eligible students can apply online on the website www.scholarships.gov.in Students will forward their applications online to the institutions and will also take a printout. This printout along with all requisite documents (as prescribed in the printout) will be submitted to the concerned institutions. Students will get a temporary ID, which he/she will retain/ keep with him/her for any further correspondence etc.
- It is mandatory for student of classes I to X to apply for the Pre-Matric scholarship online.
- The institution will scrutinize and forward all these applications online by login on the same.

NOTE:

Eligible candidates under this scheme will send their applications along with the requisite document by post or by hand at Director-General, Social Justice & Empowerment Department Haryana, SCO No.68-70, Sector 17-A, Chandigarh — 160 017.

For more details visit www.minorityaffairs.gov.in & www.scholarships.gov.in

A. K. Yadav
Director General

PRDH/27887

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग, हरियाणा
एससीओ सं. 68-70, सैक्टर 17ए, चंडीगढ़
टेलीफोन (0172)-2703522, फैक्स: (0172)-2714614

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों से 2015-16 हेतु पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित हैं।

नए/नवीकरण छात्रवृत्ति हेतु आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 31.7.2015 है

केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचित अल्पसंख्यक, समुदाय नामत मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों एवं जैनियों से संबंधित छात्रों जो सरकारी/ प्रतिष्ठित स्कूलों / सहायक संस्थानों में कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंड एवं नियमों के अनुसार वर्ष 2015-16 हेतु पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आनलाईन आवेदन आमंत्रित हैं।

छात्रवृत्ति हेतु शर्तें :-

1. छात्र हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछले अंतिम परीक्षा में 50% से कम या समानांतर ग्रेड प्राप्त न किया हो और उनके माता-पिता/ अभिभावक (माता और पिता दोनों) की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रूपए से अधिक न हो।
3. राज्य सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकरण (एसडीएम/ तहसीलदार) द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र या रोजगार में लगे माता-पिता/ अभिभावक (माता एवं पिता दोनों) हेतु नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र के बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
4. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र पहले वर्ग मैजिस्ट्रेट (एसडीएम/ तहसीलदार) द्वारा जारी किया जाएगा जिसके बिना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
5. आधार कार्ड नंबर आनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक है।
6. पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अधीन आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर (डीबीटी) तरीके द्वारा विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में प्रत्यक्ष वितरित की जाएगी।
7. इस आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति को जारी रखना, पिछले वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निर्भर करेगा।
8. इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति धारक कोर्स के दौरान किसी अन्य छात्रवृत्ति/ वजीफा का लाभ लेने के योग्य नहीं होंगे।
9. सभी योग्य विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 10 तक) हेतु बैंक खाते विद्यार्थियों के नाम में खोले जाएंगे।
10. छात्र आनलाईन आवेदन करते हुए अपना स्वयं / माता-पिता / अभिभावक का बैंक खाता नंबर, पैन कार्ड, नंबर भरेगे एवं उनका बैंक खाता नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
11. 30% छात्रवृत्तियां छात्रों के लिए निर्धारित की जाएंगी।
12. छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक छात्रों को नहीं दी जाएगी।

छात्रवृत्ति की दर

| क्र. सं. | मद | हॉस्टलवासी | दिवास्कोलर |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क | वास्तविक से 500/- रूपए प्रतिवर्ष | वास्तविक से 500/- रूपए प्रतिवर्ष |
| 2 | कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क | वास्तविक से 350/- रूपए प्रतिवर्ष | वास्तविक से 350/- रूपए प्रतिवर्ष |
| 3 | एक शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण मत्ता प्रदान किया जाएगा। | | |
| | क) कक्षा 1 से 5 तक | शून्य | 100/- प्रतिमाह |
| | ख) कक्षा 6 से 10 तक | वास्तविक से 600/- रूपए प्रतिमाह | 100/- प्रतिमाह |

टाईम लाईन

कक्षा 9 एवं 10 आनलाईन हेतु

| क्र. सं. | गतिविधियां | दिनांक |
|----------|--|--------------------------------|
| 1 | संस्थान / राज्य प्रशासन द्वारा जांच किए गए संस्थानों / राज्य द्वारा विद्यार्थियों से आवेदन की प्राप्ति | 1 मई से 31 जुलाई 2015 तक |
| 2 | राज्य द्वारा आनलाईन पेशकशों को जमा कराना | 1 जुलाई से 31 अगस्त 2015 तक |
| 3 | सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली द्वारा बैंक सत्यापन एवं डीबीटी तरीके द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति राशि देना | 1 सितंबर से 18 अक्टूबर 2015 तक |

आवेदन कैसे करें :-

1. योग्य छात्र वैबसाइट www.scholarships.gov.in पर आनलाईन आवेदन करें। छात्र संस्थानों को आनलाईन अपने आवेदन फार्वर्ड करेंगे एवं प्रिंट आउट भी लेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों (प्रिंट आउट में निर्धारित अनुसार) सहित यह प्रिंट आउट संबंधित संस्थान में जमा किए जाएंगे। छात्र अस्थायी आईडी प्राप्त करेंगे, जिसे वह किसी अन्य गतिविधि इत्यादि के लिए अपने साथ रखेगा/रखेगी।
2. यह कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों हेतु पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति आनलाईन हेतु आवेदन करना आवश्यक है।
3. संस्थान इस पर लॉगइन द्वारा इन सभी आवेदनों को फॉरवर्ड एवं जांच करेगा।

नोट :

इस योजना के अधीन योग्य छात्र महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हरियाणा, एससीओ सं. 68-70, सैक्टर 17ए, चंडीगढ़ 160017 पर डाक या दस्ती द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने आवेदन भेजें।

अधिक विवरण हेतु www.minorityaffairs.gov.in एवं www.scholarships.gov.in पर जाएं।

